

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा और अधिष्ठाता

जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (JABALPUR), मध्य प्रदेश

दस्तावेज क्रमांक: 392511096/35484

पं.सं.:

ई-मेल:

दिनांक: 27/09/2017

प्रति,

पत्रिका

ADITYA CONVENT SCHOOL

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 22/06/2017 तथा इस संबंध में स्कूल में पेशावर्ती पत्र व्यवहार, निरीक्षण के सदर्भ में जे आपकी स्कूल ADITYA CONVENT SCHOOL, 23 GOPALVIHAR, DAMOH NAKA, JABALPUR MP को कक्षा Nursey से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई गारंटी किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वरिष्ठ समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवधिक व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवधिक सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम प्रवेश प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वह अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रिस्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- धारा 3 में विनिर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पत्रिका से बैंक खाता उपलब्ध कराया जाएगा।
- सोसाइटी/स्कूल बोर्ड भी कंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक को साथ किसी धानवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
  - (क) आयु के संगत के संभाव में।
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्काशित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को धारीक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अतिरिक्त निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8 स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	44000	18840
10 स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	45000	16840
11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	29000	2000

ड. अधीनस्थानों का विवरण					
कक्षा	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1 कक्षा आरंभ तक उपयोग में आ रहे (कक्षा) कक्षा	34	440	34	440	
2 कार्यालय कक्षा-सह-भंडार कक्षा-सह-पर्यायाना/प्राथमिक कक्षा	8	300	8	300	
3 भोजनालय-सह-भंडार	1	100	1	100	

घ. अन्य सुविधाएं			पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1 क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है (हां/नहीं)			हां	हां
2 पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)			हां	हां
3 खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)			हां	हां
4 पुस्तकों की संख्या		8000	8000	8000
5 पत्रिकाएं/समाचार पत्र		20	20	20
6 भोजन सुविधा का प्रकार		Other	Other	Other
7 भोजन सुविधा की संख्या		10	10	10
8 शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/दोनों)		Both Indian & Western	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9 लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या		10	10	10
10 लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या		10	10	10
11 विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या		4	4	4
12 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? (हां/नहीं)			हां	हां

- लेख संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेख विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 3925 1096, एवं डीएसकोड (DISE) 23390223007 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "लीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भारतीय,  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला शिक्षा प्रमुख पुर नन्दपुर

